

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 139/2017/जयपुर.

मैसर्स बजरंग वायर प्रोडक्ट्स(इण्डिया) प्रा० लिमिटेड,
ई-76ए, रोड नं० 9 एफ-1, वी.के.आई. एरिया, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन (राज.) वृत्त-प्रथम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री मोती कोटवानी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 03/02/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 218/अपील्स-III/स्थगन/2016-17 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.01.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अमूर्त माल (intangible goods) DEPB / Duty Free Licence / duty Credit Scrip की खरीद पर चुकाये गये वैट राशि की आई.टी.सी. को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त खरीद किये गये माल का उपयोग वैट अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों में वर्णित प्रयोजनों के लिये नहीं किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी की आई.टी.सी. रूपये 17,68,907/- रिवर्स की गई एवं अनुवर्ती ब्याज रूपये 2,30,279/- आरोपित किया गया था। साथ ही वैट अधिनियम की धारा 61(2)(b) के अन्तर्गत दुगुनी शास्ति रूपये 35,37,814/- आरोपित की गयी। उक्त सृजित मांग राशि की वसूली को स्थगित करने के लिये अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की राशि रूपये 35,37,814/- की वसूली पर रोक लगा दी गयी परन्तु अवशेष राशि अर्थात् आई.टी.सी. एवं अनुवर्ती ब्याज की वसूली पर रोक लगाने से इंकार किया गया। उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।





लगातार.....2

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा जो intangible goods के रूप में राज्य के भीतर विभिन्न लाईसेंस खरीद किये गये हैं, उन पर वेट अधिनियम की धारा 4 के तहत जो कर चुकाया गया है उसका इनपुट टैक्स के रूप में क्रेडिट का क्लेम वेट अधिनियम की धारा 18 के तहत विधि अनुसार देय है परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने न्याय विरुद्ध आदेश पारित कर क्लेम की गई आई.टी.सी. को रिवर्स किया गया है। वह विधिविरुद्ध होने से सम्पूर्ण मांग की वसूली पर रोक लगाई जाना विधिक एवं न्यायिक बाध्यता है।
4. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध बनाये गये अभियोग के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट नोटिस जारी नहीं किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है इस आधार पर भी सृजित मांग की वसूली स्थगित किये जाने योग्य है।
5. विद्वान अभिभाषक ने आई.टी.सी. क्लेम को अस्वीकार करने के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने DEPB Licence की खरीद राज्य में 5 प्रतिशत कर चुकाकर की थी एवं इन लाईसेंस का उपयोग अपीलार्थी ने विदेश से आयातित माल वायर रोड के क्रय राशि के भुगतान में उपयोग किया गया था एवं यह खरीद किया गया माल अपीलार्थी द्वारा कच्चे माल के रूप में निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त किया गया है अतः वेट अधिनियम की धारा 18 में उपयोग करने का प्रयोजन उसकी उप-धारा (1)(e) के अनुसार विधिक रूप से लिया गया है।
6. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी का खरीद किया गया कच्चा माल निःसंदेह विदेश से आयात किया गया है परन्तु इस माल पर देय कस्टम ड्यूटी को DEPB Licence का उपयोग कर उसका समायोजन किया गया है ऐसी स्थिति में जो कस्टम ड्यूटी आयातित माल पर भुगतान की गयी है उस राशि में DEPB Licence का मूल्य भी सम्मिलित हो जाने से इस खरीद मूल्य में DEPB Licence पर चुकाया गया कर विधिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दिया जाना विधिक बाध्यता है। उन्होंने कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18 में दिये गये शब्द 'उपयोग-USE' का अर्थ केवल वास्तविक भौतिक उपयोग से ही नहीं है बल्कि अमूर्त माल का भी अन्य तरीके से उपयोग होने पर भी क्लेम देय है।
7. विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर कथन किया कि वेट प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कर पर कर (cascading effect) को कम करना है जबकि उक्त आदेश से उनके द्वारा चुकाये गये कर पर पुनः करारोपण हो रहा है एवं इनपुट का क्लेम नहीं दिया जाना न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध है।



२५

लगातार.....3

(1) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड बनाम उपायुक्त वाणिज्यिक कर (2012) 56 वी.एस.टी. 68 (उड़ीसा)

(2) मैसर्स के.सी.पी. लिमिटेड 2013 (295) ई.एल.टी. 253

8. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा कच्चे माल के रूप में जो स्टील वायर रोड खरीद की गयी है उसके भुगतान में DEPB Licence का उपयोग किया गया है ऐसी स्थिति में हालांकि DEPB Licence के रूप में खरीदा माल प्रत्यक्ष या सीधे तौर पर कच्चे माल की खरीद में न भी माना जाये तो उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी खरीद का भाग माना जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त जागृति प्लास्टिक लिमिटेड (2015) 72 टैक्समैन डॉट कॉम 62 (दिल्ली) प्रस्तुत किया गया।

9. विद्वान अभिभाषक ने आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग के इसी बिन्दु पर वेट अधिनियम की धारा 36 में किये गये विनिश्चय जो कि मैसर्स भाविक टेरीफेब जयपुर के प्रकरण में दिनांक 15.09.2015 को किया गया था उसे भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत रूप से लागू किया गया है।

10. उक्त तर्कों के साथ में विद्वान अभिभाषक ने विवादित कर निर्धारण आदेश में आरोपित रिवर्स कर एवं अनुवर्ती ब्याज की वसूली पर रोक लगाने का अनुरोध किया एवं यह भी अनुरोध किया कि अपीलीय अधिकारी को उनके समक्ष लम्बित अपील का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिये जावें।

11. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 18 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्रदान करने के लिये स्पष्ट एवं विशिष्ट प्रयोजन दिये गये हैं उसी अनुसार माल का उपयोग करने पर ही आई.टी.सी. का क्लेम दिया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य के पंजीकृत व्यवसायियों से की जाने वाली किसी भी कर योग्य माल की खरीद के पश्चात् उप-धारा (1) में दिये गये क्लॉज (a) से (g) में प्रदत्त कार्य के लिये होने पर ही क्लेम दिये जाने का उपबंध किया गया है।

12. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रथमतः DEPB या अन्य कोई लाईसेंस की खरीद करने के पश्चात् यदि उनका उपयोग वेट अधिनियम की धारा 18(1) (a) से (g) के प्रयोजन में नहीं किया जाता है तब उसका आई.टी.सी. क्लेम अनुज्ञेय नहीं है। चूंकि अपीलार्थी का खरीद माल पुनः विक्रय नहीं हुआ है बल्कि उस लाईसेंस का उपयोग राज्य के बाहर से खरीद किये गये माल में हुआ है ऐसी स्थिति में जब उस कच्चे माल की खरीद राज्य के बाहर से हुई है एवं इस लाईसेंस का उपयोग राज्य के बाहर की खरीद के विक्रय मूल्य में कस्टम ड्यूटी में भुगतान के समायोजन में प्रयुक्त किया गया है



20-

लगातार.....4


ऐसी स्थिति में मूल रूप से माल की खरीद ही राज्य के भीतर नहीं होने से उस माल पर कोई कर राज्य में चुकाया हुआ नहीं है ऐसी स्थिति में धारा 18(1) की मूल भावना कि माल की खरीद राज्य के भीतर होना आवश्यक है, का अभाव रहता है। प्रकरण में अपीलार्थी के कच्चे माल की खरीद ही राज्य के बाहर से हुई है ऐसी स्थिति में उसके खरीद मूल्य पर किसी भी तरह की आई.टी.सी. क्लेम देय नहीं है।


13. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा जो न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये हैं वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह असम्बद्ध होना बताया क्योंकि दिल्ली वेट अधिनियम में इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिये दी गई धारा 9 में विशेष रूप से माल का उपयोग Directly or Indirectly होने पर भी आई.टी.सी. अनुज्ञेय किया गया है जबकि राजस्थान के वेट अधिनियम की धारा 18 में माल के उपयोग के विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं।

14. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा अपीलीय आदेश व कर निर्धारण आदेश का अवलोकन किया गया।

15. अपीलार्थी के प्रकरण में DEPB Licence की खरीद राज्य के भीतर करते हुए उस पर वेट अधिनियम के तहत कर का भुगतान किया गया है जो उसे आई.टी.सी. के रूप में क्रेडिट योग्य है परन्तु किसी भी आई.टी.सी. की क्रेडिट का क्लेम तभी अनुज्ञेय होगा जब खरीद किये गये माल का उपयोग वेट अधिनियम की धारा 18 में दिये गये विशिष्ट प्रयोजनों के लिये ही किया गया हो। इस वाद में अपीलार्थी द्वारा DEPB की खरीद के पूरे मूल्य का उपयोग कस्टम ड्यूटी के भुगतान के विरुद्ध विदेश से की गई खरीद के समायोजन हेतु लिया गया है, इस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पारित किया गया है, जिसके अध्ययन से सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह में अपील का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

16. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(नत्थूराम)
सदस्य